उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ

संख्या:3145-औद्यौ/राविप-17/97-11(4)एफ/86 दिनांक: जून 4, 1997.

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।

विषय:- प्रदेश के बाहर स्थित चिकित्सालय में उपचारार्थ भर्ती होने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

परिषदाज्ञा संख्या 1172-डब्लू.सी/राविप(औद्यौ-19(93-11(4)एफ/86 दिनांक 10.12.93 तथा परिषदाज्ञा संख्या 519-डब्लू.सी./राविप(औद्यौ-19(/94-11(4)एफ/86 दिनांक 28 फरवरी 1994 का अतिक्रमण करते हुए परिषद के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके पूर्णतः आश्रितों के भर्ती की अवधि में स्वेच्छा से प्रदेश से बाहर सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा संदर्भ कराये जाने के फलस्वरूप (1) हृदय की बाईपास सर्जरी, (2)वाल्व पुनर्स्थापन, (3)पेस मेकर लगवाने, (4) किडनी का पुनर्स्थापन, (5)हृदय व मस्तिष्क की शल्य क्रिया तथा (6) कैंसर शल्य क्रियादि जैसी व्याधियों/रोगों के उपचार कराने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित प्रतिबंधों सहित की जायेगी :-

(क) उपर्युक्त रोगों के उपचार के लिए संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में प्रचलित व्यय के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

(ख) उपर्युक्त(क) में उल्लिखित धनराशि एवं चिकित्सा में हुए वास्तविक व्यय के अन्तर की 75% धनराशि की प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा की जायेगी एवं शेष 25% धनराशि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा वहन किया जायेगा।

उपर्युक्त इंगित छः रोगों की शल्य क्रिया तथा उपचार दोनों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (क) एवं (ख) के अनुसार अनुमन्य होगी।

कैंसर रोग की चिकित्सा हेतु टाटा मेमोरियल हास्पिटल, मुम्बई को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए यथावत परिषद का अधिकृत चिकित्सालय माना जायेगा।

यह आदेश दिनांक 23.5.1997 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,
(जगदीश कुमार)
निदेशक(कार्मिक)

संख्या: 3145-(1)-औद्यौ/राविप-17/97, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर सचिव(प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0राविप, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
4. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद।
5. विद्युत परिषद मुख्यालय एवं लेखा शाखा के समस्त अधिकारी।
6. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 10/12, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,
(एल.आर.जादव)
मुख्य कार्मिक अधिकारी